न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकदमा नम्बर :- 06/2021 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2021/13)

राजस्थान सरकार जरिये रामेश्वर दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर ..... प्रार्थी

बनाम

रामवीर शुक्ला पुत्र श्री बांकेलाल उम्र 35 वर्ष निवासी मुरैना म0प्र0 हाल निवासी हॉस्पीटल के पीछे भागतीपुरा धौलपुर ..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :-
1 - प्रार्थी की ओर से :- दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2 - अप्रार्थी की ओर से :- श्री शिशपाल यादव एडवोकेट

निर्णय दिनांक 04.09.2023

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 17.03.2021 को राजकीय चिकित्सालय परिसर में संचालित केन्टीन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यापारिक कार्यो में उपयोग किये जाने की जांच करने पहुचे। मौके पर चिकित्सालय परिसर में अप्रार्थी रामवीर शुक्ला के द्वारा केन्टीन का संचालन किया जाना पाया गया। रामवीर शुक्ला मौके पर उपस्थित नहीं मिले जो दूरभाष के माध्यम से बार-बार बुलाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। मौके पर 2 छोटे गैस चूल्हे (चाय बनाने वाले), 2 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक गैस रेग्यूलेटर मय 2 टी पाइपनली से जुडी हुई पाई गई जिन पर व्यवसायिक उपयोग हेतु चाय इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर नजुरद्वीन पुत्र नज्जो कुरेशी निवासी पुराना शहर कसाईपाडा धौलपुर, श्री लवकुश पुत्र वीरेन्द्रसिंह जाति जोशी निवासी ग्राम सादिकपुर धौलपुर तथा दिरगों पुत्र फारेलाल निवासी सादिकपुर उपस्थित मिले जिन्होने स्वंय को रामवीर शुक्ला की केन्टीन में कार्यरत होना बताया। उक्त तीनो द्वारा घरेलू गैर सिलेण्डरों का व्यापारिक कार्यो में उपयोग किये जाने के संबध में पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जबाव नहीं दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध कराये। मौके पर उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 12.290 किलो ग्राम, 2 छोटे गैस चूल्हे (चाय बनाने वाले),

एक गैस रेग्यूलेटर मय 2 टी पाइपनली को जब्त–ए–सरकार किया जाकर अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखे जाने हेतु मैसर्स शिवेन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि श्री दशरथसिंह पुत्र रविन्द्रसिंह जाति बघेल निवासी गुनपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2001 का उल्लंघन होना पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 12.290 किलो ग्राम, 2 छोटे गैस चूल्हे (चाय बनाने वाले), एक गैस रेग्यूलेटर मय 2 टी पाइपनली को राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मूल फर्द अभिग्रहणनामा, फर्द सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्शा पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के संबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री शिशपाल यादव एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि प्रार्थी के नाम कोई कैन्टीन का ठेका नहीं है और ना ही प्रार्थी किसी भी कैन्टीन का संचालन करता है। प्रार्थी को उक्त कैन्टीन से कोई संबध नहीं है। उक्त कैन्टीन से क्या क्या सामान जब्त किया गया प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराधन नहीं किया गया है और ना ही कोई सामान प्राथी से या प्रार्थी की उपस्थिति में जब्त किया गया है। इसलिये प्रार्थी के विरूद्व जारी नोटिस निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी को उक्त जब्त शुदा आर्टीकल को राजसात करने में कोई आपत्ति नहीं है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजकीय चिकित्सालय परिसर में संचालित केन्टीन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यापारिक कार्यो में उपयोग किया जाना पाया गया है। केन्टीन में उपस्थित कर्मचारियों से पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जबाव नहीं दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत कर सका। मौके पर जब्त धरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान अप्रार्थी का ही है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2001 का उल्लंघन किया गया है उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के नाम कोई कैन्टीन का ठेका नहीं है और ना ही प्रार्थी किसी भी कैन्टीन का संचालन करता है। प्रार्थी को उक्त कैन्टीन से कोई संबध नहीं है। उक्त कैन्टीन से क्या क्या सामान जब्त किया गया प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और ना ही कोई सामान प्राथी से या प्रार्थी की उपस्थिति में जब्त किया गया है। प्रार्थी का जब्तशुदा सामान से कोई सम्बध सरोकार नहीं है। जब्त शुदा आर्टीकल को राजसात करने में अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17.03.2021 को राजकीय चिकित्सालय धौलपुर परिसर में संचालित केन्टीन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यापारिक कार्यो में उपयोग किये जाने की जांच के दौरान मौके पर केन्टीन में 2 छोटे गैस चूल्हे (चाय बनाने वाले), 2 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक गैस रेग्यूलेटर मय 2 टी पाइपनली उपलब्ध पाये जिनका प्रयोग व्यापारिक कार्य में किया जाना पाया गया। दौराने पूछताछ एवं जॉच अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका ना ही कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किये। मौके पर केन्टीन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक कार्य में करता है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2001 का उल्लंघन है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 12.290 किलो ग्राम, 2 छोटे गैस चूल्हे (चाय बनाने वाले), एक गैस रेग्यूलेटर मय 2 टी पाइपनली को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर